माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
☎: कार्या:– (0755) 2551650

क्रमांक/2066 /परीक्षा समन्वय/2021 भोपाल दिनांक–26/07/ 2021

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
मण्डल से मान्यता/सम्बद्वता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाऐं/
समस्त अग्रेषणकर्ता संस्थाऐं
मध्यप्रदेश ।

विषय:– हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक विशेष परीक्षा वर्ष 2021 के परीक्षाफार्म भरने एवं परीक्षा में शामिल होने संबंधी निर्देश।

संदर्भ:– मण्डल का आदेश कमांक/2050–2051/प.स./2021 भोपाल दिनांक 08–07–2021

––00––

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 के परीक्षा परिणाम घोषणा के उपरांत अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी अथवा जिनका परिणाम अनुपस्थित दर्शाते हुए घोषित किया गया है, तो ऐसे विद्यार्थी दिनांक 01 सितम्बर 2021 से 25 सितम्बर 2021 के मध्य आयोजित होने वाली परीक्षा में संपूर्ण विषयों अथवा किसी विषय विशेष की परीक्षा में निःशुल्क सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे परीक्षार्थी दिनांक 01.08.2021 से 10.08.2021 के मध्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु MPONLINE पोर्टल पर पंजीयन करा सकेंगे। ऐसे परीक्षार्थियों का विशेष परीक्षा के आधार पर तैयार परीक्षा परिणाम ही अंतिम मान्य किया जाएगा एवं माह जुलाई 2021 में घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम निरस्त किया जावेगा। अर्थात यदि कोई छात्र मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों में उत्तीर्ण है तथा अंक सुधार हेतु विशेष परीक्षा में शामिल हुआ है और विशेष परीक्षा में छात्र एक अथवा एक से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण हुआ है तो उसका अंतिम परीक्षा परिणाम पात्रता अनुसार पूरक अथवा अनुत्तीर्ण होगा और छात्र को पूरक अथवा अनुत्तीर्ण की अंकसूची प्रदान की जावेगी। इसी प्रकार किसी छात्र का वर्तमान परिणाम उत्तीर्ण है, किन्तु परिणाम से असंतुष्ट होकर अंक सुधार के लिये पंजीयन किया है तथा विशेष परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसका अंतिम परिणाम अनुपस्थित मानकर अनुत्तीर्ण घोषित कर अंकसूची प्रदान की जावेगी।

2/ मण्डल द्वारा हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 के परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत बिन्दु कमांक–01 के अनुक्रम में विशेष परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को वर्तमान परिणाम की अंकसूची मुद्रित नहीं की जावेगी। ऐसे छात्रों के परीक्षा उपरांत अंतिम परिणाम के आधार पर उन्हें अंकसूची मुद्रित कर उपलब्ध कराई जावेगी।

3/ विशेष परीक्षा वर्ष 2021 में शामिल होने वाले छात्रों को छोड़कर शेष हाईस्कूल/हायरसेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2021 के छात्रों की मूल अंकसूचियां माह सितम्बर 2021 के द्वितीय सप्ताह में संबंधित संस्था/अग्रेषण संस्था के माध्यम से प्राप्त होंगे।

4/ ऐसे प्रकरण जिनमें प्रवेश सूची में नाम दर्ज है, किन्तु परीक्षाफार्म नहीं भरा गया है एवं शुल्क भी जमा नहीं की गई है अथवा परीक्षाफार्म भरा गया है, किन्तु शुल्क जमा नहीं है, ऐसे छात्रों को दिनांक 01–08–2021 से 10–08–2021 के माध्य MPONLINE के माध्यम से परीक्षाफार्म भरकर/शुल्क जमा कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे छात्रों को निर्धारित परीक्षा शुल्क रूपये 900/–जमा करना अनिवार्य होगा।

निरंतर..2

5/ मण्डल द्वारा आयोजित विशेष परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्रों को मण्डल नियमानुसार पूरक की पात्रता होने पर पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदाय किया जावेगा।

6/ परीक्षा केन्द्रों की जानकारी पृथक से जारी की जावेगी।

7/ विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की प्रायोगिक परीक्षायें संबंधित परीक्षा केन्द्रों पर होगी।

8/ हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक विशेष परीक्षा वर्ष 2021 के प्रवेश पत्र MPONLINE के माध्यम से प्राप्त किये जा सकेंगे।

अतः मण्डल द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में पात्र छात्र विशेष परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित तिथि में MPONLINE के माध्यम से पंजीयन/परीक्षाफार्म भरना एवं शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें।

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/2067/परीक्षा समन्वय/2021 भोपाल दिनांक–26/07/2021

प्रतिलिपि–

1– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2– आयुक्त, लोक शिक्षण, गौतम नगर, मध्यप्रदेश भोपाल।
3– आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
4– आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स मध्यप्रदेश भोपाल।
5– समस्त– संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6– समस्त–जिला पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
7– समस्त– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
8– समस्त– संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
9– समस्त–उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.।
10– समस्त–जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11– समस्त– प्राचार्य, जिला समन्वयक संस्थायें, मध्यप्रदेश।
12– आंचलिक/समस्त–संभागीय अधिकारी संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल म.प्र.।
13– सी.एस.ओ./जन सम्पर्क अधिकारी/पंजीयक परीक्षा/विधि सलाहकार/समस्त–सहायक सचिव/ कक्षाधिकारी/समकक्ष अधिकारी/लोकसूचना कक्ष/सुरक्षा अधिकारी,मा.शि.म.मंडल म.प्र.।
14– निजसचिव–अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/अति.सचिव/उपसचिव/परीक्षा नियंत्रक/वित्ताधिकारी, मा0शि0म0,म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश भोपाल